उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ
नियमावली
द्वारा संचालित संविधान की धारा 12 के अनुसार

(मान्यता प्राप्त)

उप संविधन
नियम की धारा

1. (1) तहसील व जिला स्तर पर संस्था की इकाइयों का नाम जिला स्तर पर शाखा और तहसील स्तर पर उपशाखा होगा तथा यह इकाइयों उ० प्र० लेखपाल संघ की शाखा उपशाखा होगी पृथक से इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हर हालत में इनको प्रान्तीय उ० प्र० लेखपाल संघ से सम्बन्ध रखना पड़ेगा।

2. (3) **कार्यालय** – संस्था का कार्यालय मन्त्री की सुविधानुसार जिला व तहसील मुख्यालय पर ही होगा जिसकी सूचना निर्वाचन के उपरान्त उसी समय अथवा एक सप्ताह में दे दी जायेगी।

3. (4) **सदस्य** – कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में बतौर लेखपाल है वह उ० प्र० लेखापाल संघ का निर्धारित मासिक शुल्क देने पर सदस्य बन सकता है।

4. (6) (अ) **सम्बन्ध** – तहसील उपशाखा मासिक सदस्यता शुल्क में से आधा अपने पास रखकर आधा जिला शाखा को भेजकर व जिला शाखा एकत्रित मासिक शुल्क में से 60 प्रतिशत अपने पास रखकर 40 प्रतिशत उ० प्र० लेखपाल संघ को भेजकर सम्बन्ध स्थापित करेगी।

देखें – संशोधित आम सभा द्वारा स्वीकृत दिनांक 20.02.97

(ब) कोई शाखा उपशाखा धन वसूल करने के पश्चात यदि तीन माह तक अपना धन उ० प्र० लेखपाल संघ को नहीं भेजती है तथा सम्बन्ध स्थापित नहीं करती है तो वह गवन माना जायेगा जिसके विरूद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

(स) कोई भी जिला शाखा अपने अंश के अलावा किसी भी धनराशि को एक माह से अधिक अपने पास नहीं रोकेगी तथा तहसील उपशाखा, जिला शाखा को देय धन समय से भुगतान करेगी और रसीद प्राप्त करेगी।

(द) विशेष परिस्थितियों में जिला शाखा, उपशाखा विशेष चन्दा संस्था हित में एकत्रित कर सकती है, जिसकी सूचना उन्हें प्रान्तीय कार्यालय को देनी होगी।

5. (7) **कोष** (अ) लेखपाल संघ का कोई भी धन बिना रसीद प्राप्त नहीं किया जायेगा और कोषाध्यक्ष के रजिस्टर में जमा किये बिना कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

(ब) उ० प्र० लेखपाल संघ द्वारा भेजी हुई रसीदें ही मान्य होंगी। कोई शाखा, उपशाखा रसीद कहीं नहीं छपवायेगी।

(स) पैरा (अ) के विपरीत आचरण करने पर पदाधिकारी के विरूद्ध सदस्यों की लिखित शिकायत प्रमाणित होने पर गवन अथवा चार सौ बीस का दावा संघ द्वारा दायर किया जायेगा।

(द) धन संग्रह का कार्य तहसील में परगना प्रतिनिधियों अथवा तहसील सचिव का होगा जिनकी संख्या वेतन

तिथियों की संख्या के अनुसार ही निर्धारित होगी और एक से अधिक की दशा में शेष का निर्वाचन भी साधारण सभा में कर लिया जायेगा। संग्रह कर्ता प्राप्त धन यथा शीघ्र प्रतिमाह मन्त्री को धन देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे।

(य) संस्था के कार्य संचालन हेतु महामंत्री एक हजार रुपये (विशेष परिस्थितियों में अधिक हो सकता है) तहसील मन्त्री 200/- व जिला मन्त्री 500/- तथा कोषाध्यक्ष 100/- अपने पास रख सकते हैं। संघ का समस्त धन डाकघर अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक में उ० प्र० लेखपाल संघ के नाम से मन्त्री व कोषाध्यक्ष संयुक्त खाता खोलेंगे। पास बुक सदैव कोषाध्यक्ष के पास रहेगी।

6. (5) (अ) जिला की साधारण सभा का निम्नवत् निर्माण होगा :

जनपद के सरकारीसेवा में बतौर लेखपाल कार्यरत है व उ० प्र० लेखपाल संघ का निर्धारित मासिक शुल्क निरन्तर अदा किया है, जनपद शाखा को प्राप्त संस्था शुल्क का 40 प्रतिशत प्रान्त को देना होगा।

देखें :– आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

(ब) तहसील उपशाखा की साधारण सभा का निर्माण तहसील के सभी कार्यरत लेखपालों से होगा।

1. साधारण सभा को कोरम 25 प्रतिशत कम से कम पर होगा।
2. मासिक शुल्क अदाएगी अनिवार्य होगी। जिला के निर्वाचन के समय लेखपाल वार बेबाकी आवश्यक होगी।

7. (8) **पदाधिकारी–** साधारण सभा में निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्व सम्मति अथवा बहुमत से होगा।

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष (एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ) 3. मन्त्री
4. उपमंत्री 5. कोषाध्यक्ष 6. लेखा निरीक्षक

स्पष्टीकरण (अ) लेखा निरीक्षक कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा।

(ब) लेखा निरीक्षक हर तीसरे माह अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय को भेजता रहेगा।

(स) लेखा निरीक्षक तहसील उपशाखा व जिला उपशाखा पर क्रमशः चार व तीन प्रतियां बनायेगा और एक-एक प्रति तहसील उपशाखा जिला उपशाखा एवं प्रधान कार्यालय उ० प्र० लेखपाल संघ को भेजेगा।

8. (9) (1) **कार्यकारिणी –** जिला शाखा की कार्यकरिणी में कार्यकारिणी के निर्वाचित पदाधिकारी तथा तहसील शाखाओं के मन्त्री एवं प्रत्येक राजस्व निरीक्षक क्षेत्र से एक-एक निर्वाचित सदस्य होगा।

(2) तहसील उपशाखा की कार्यकारिणी में निर्वाचित पदाधिकारी एवं प्रत्येक राजस्व निरीक्षक क्षेत्र से दो-दो प्रतिनिधि सदस्य होंगें।

(3) राजस्व निरीक्षक क्षेत्र प्रतिनिधि का निर्वाचन साधारण सभा में सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल सदस्य ही करेंगे।

(4) कार्यकारिणी समिति की बैठक त्रैमासिक बुलायी जायेगी।

9. (10) **बजट** - साधारण सभा में आगामी वर्ष हेतु अनुमानित आय-व्ययलेखा मन्त्री द्वारा बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसे मूल रूप से अथवा संशोधन उपरान्त साधारण सभा स्वीकृत करेगी।

10. (11) 1. **वार्षिक अधिवेशन –** कार्यकारिणी द्वारा निश्चित दिनांक एवं स्थान पर होगा तथा कार्यकारिणी समिति,

स्वागत समिति का गठन करेगी।

2. **विशेष अधिवेशन** – साधारण सभा के 1/4 सदस्यों की मांग पर अथवा कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति पर कभी भी बुलाया जा सकता है।

11. (12) **अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. संघ की पूर्ण सत्ता साधारण सभा में निहित है।
2. कार्यकारिणी समिति संघ की व्यवस्था, संचालन सम्बन्धी समस्त कार्यो के प्रति उत्तरदायी होगी जिसमें कोष की सुरक्षा भी सम्मिलित है। गम्भीर एवं महत्तपूर्ण विषयों के विचारार्थ कार्यकारिणी समिति की त्रैमासिक बैठक होगी। प्रान्तीय संघ के प्रत्येक आदेश निर्देश नियम तथा उप नियम का पालन करना कार्यकारिणी समिति का कर्तव्य होगा।

12. (13) **अध्यक्ष** – कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना, समस्त कार्यवाही नियमानुकूल करना, यह देखना की संघ का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं तथा प्रत्येक सभा की कार्यवाही अनुशासन से चलाना, विधान में लिखे उद्देश्यों की नीति निर्धारित करना और उसका पालन कराना।

13. (14) **उपाध्यक्ष** – अध्यक्ष की उपस्थिति में उनके बताये अनुसार उनके कार्यों में सहयोग करना एवं अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करना।

14. (15) **मन्त्री** – कार्यकारिणी समिति के आदेशों एवं निर्देशों के अधीन संघ के हित, सम्मान तथा सम्पत्ति की रक्षा व वृद्धि एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक कार्य यथा समय करना तथा उसके सहयोगी व साथियों से कराना। समस्त बैठकों व अधिवेशनों को बुलाकर उनकी कार्यवाही लिपिबद्ध करके रखना प्राप्त धन कोषाध्यक्ष के पास जमा करना। वार्षिक आय-व्यय का अनुमानित ब्यौरा बनाकर, अपना वार्षिक (गत वर्ष की प्रगति) रिपोर्ट एवं लेखा निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट सहित साधारण सभा में रखना। संघ के समस्त साथियों से विधानानुसार कर्तव्यों का पालन कराना। कार्यालय सम्बन्धी समस्त नियमित व्यवस्था एवं निर्देशित ढंग से रखना तथा निर्धारित ढंग से खर्च के बिलों का भुगतान करना अथवा कोषाध्यक्ष से कराना तथा का॰ का॰ की बैठक में आय-व्यय प्रस्तुत करना।

15. (16) **उप मन्त्री** – मंत्री की उपस्थिति में उसके बताये अनुसार सहयोग करना एवं अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करना।

16. (17) **कोषाध्यक्ष** – कोषाध्यक्ष संघ के समस्त धन का उत्तरदायी होगा। प्राप्त धन के लिए रसीद देना व दिये गये धन की रसीद प्राप्त करना। दैनिक आय-व्यय का लेखा निर्धारित एवं निर्देशित ढंग से तैयार करना तथा प्रति मास मंत्री के समक्ष रखना अथवा प्रतिलिपि बनाकर देना। प्राप्त धन पास बुक में जमा कराना और निकालना। पास बुक अपने पास सुरक्षित रखना। बजट तैयार करने में मंत्री का सहयोग करना।

17. (18) **अविश्वास का प्रस्ताव** – संघ के किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्यकारिणी का एक सदस्य भी अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जो सदस्यों के अनुमोदन पर विचारार्थ स्वीकार होगा। जिसका निर्णय कार्यकारिणी समिति की वर्तमान अथ प्रथम आगामी बैठक में होगा। समिति की पूर्ण संख्या का 2/3 सदस्यों की सहमति प्रस्ताव के पक्ष में पारित होने पर सम्बन्धित पदाधिकारी को उस पद से अलग कर दिया जायेगा तथा रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यकारिणी द्वारा कर ली जायेगी किसी के भी विरूद्ध एक बार अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकेगा।

18. (19) **अनुशासन की कार्यवाही** – किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य के विरूद्ध संघ के नियम, उपनियम के उल्लंघन, आदेश, निर्देश की अवज्ञा, संघ की प्रतिष्ठा शाख अथवा सम्पत्ति की क्षति पहुंचाने वाले आचरण अथवा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

लिखित शिकायत मिलने पर प्रान्तीय महामंत्री अथवा अध्यक्ष द्वारा उस विषय की जांच करायी जायेगी। आरोप सिद्ध होने पर सम्बन्धित सदस्य अथवा पदाधिकारी को संघ की सदस्यता से निलम्बित अथवा पृथक कर दिया जायेगा। विषय की गम्भीरता एवं महत्व के आधार पर प्रान्तीय संघ उपर्युक्त ऐसे सदस्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु राज्य सरकार से मांग कर सकता है। संस्था का कोई भी पदाधिकारी 6 माह तक अनवरत् प्रोन्नति पद पर कार्यरत् रहने की दशा में स्वमेव पदच्युत समझा जावेगा तथा लेखपाल सेवा निवृत्त होने की तिथि तक ही पदाधिकारी रहेगा।

19. (19) **समितियों के भंग करने के सम्बन्ध में :–**

1. जहां निर्वाचित शाखा, उप शाखा उ० प्र० लेखापाल संघ के विधान तथा नियम उपनियम के अनुकूल आचरण नहीं करती अथवा संस्था नियमों, निर्देशों का पालन नहीं करती अपितु अनुशासनहीनता करती है ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त उ० प्र० लेखपाल संघ द्वारा भंग करके नवीन चुनाव कराये जाने की आज्ञा महामंत्री द्वारा दी जायेगी तथा यदि आवश्यकता हो तो दोषी पदाधिकारियों को दण्ड देने की भी कार्यवाही की जा सकेगी।

2. **तदर्थ समिति :–** किसी उप शाखा, शाखा में विधिवत् गठित कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो जाने पर यदि चुनाव एक माह के अन्दर नहीं कराये जाते हैं तो कार्यकारिणी समिति भंग कर दी जायेगी तथा शाखा-उपशाखा के कार्य संचालन हेतु प्रधान कार्यालय तदर्थ समिति गठित कर सकेगा। जिसमें एक पद संयोजक का होगा तदर्थ समिति कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। यदि संयोजक निश्चित अवधि में चुनाव नहीं करा पाते तो महामंत्री द्वारा अपने स्तर से चुनाव कराने की कार्यवाही की जायेगी।

20. 1. **प्रस्ताव –** अपवाद एवं आपत्ति-प्रस्ताव उपशाखा, शाखा अपनी बैठकों में कठिनाइयों समस्याओं के बारे में प्रस्ताव पारित करके उसकी प्रति क्रमशः परगनाधिकारी, जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शाखा के किसी भी प्रस्ताव पर यदि जिला प्रशासन वांछित कार्यवाही नहीं करता तो जिला शाखा उस प्रस्ताव को प्रधान कार्यालय भेजेगा किन्तु उपशाखा को सीधे प्रान्तीय संघ को प्रस्ताव भेजने का अधिकार न होगा। जिले के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

2. **आपत्तियाँ–शिकायतें :–** यदि कोई शिकायत या आपत्ति अध्यक्ष, मंत्री को लिखित रूप से किसी सदस्य की अधिकारी या जनता से प्राप्त होती है तो वह उसकी प्रारम्भिक जांच करायेंगे और किसी भी गम्भीरता को देखकर उसे कार्य समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखेंगे।

3. जिला शाखा, तहसील शाखा के निर्वाचन सम्बन्धी आपत्तियों की सुनवायी पर शपथ से पूर्व प्रेक्षक द्वारा ही अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

4. यदि शपथ के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से 1/5 निर्वाचन के सम्बन्ध में लिखित आपत्ति करते हैं तो प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री का निर्णय की अन्तिम होगा।

5. कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ से सम्बन्धित विषय में अध्यक्ष उ० प्र० लेखपाल संघ की आज्ञा अथवा उनके ज्ञान में लाये बिना न्यायालय नहीं जा सकता।

21. **निर्वाचन विधि**

(अ) सदस्यों को निर्वाचन की सूचना आम एजेण्डा द्वारा कम से कम एक माह पूर्व दी जायेगी जिसमें स्थान, दिनांक, समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। तहसील उपशाखा की दशा में सूचना जिला शाखा को दी जायेगी और जिला शाखा के चुनाव की सूचना प्रधान कार्यालय को भेजी जायेगी क्रमशः जिला शाखा एवं प्रधान कार्यालय बैठक का संचालन एवं सभापतित्व करने अपने प्रेक्षक भेजेंगे जो चुनाव के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। जिला स्तर पर प्रान्तीय प्रेक्षक द्वारा चुनाव की नियमति माना जायेगा।

(ब) प्रेक्षक/निर्वाचन अधिकारी गुप्त मतदान से चुनाव सम्पन्न करा देंगे। गुप्त मतदान की व्यवस्था मतपत्र आदि का उत्तरदायित्व निर्वाचन अधिकारी पर होगा। तहसील मंत्री उसके निर्देशानुसार व्यवस्था करेंगे।

(स) चुनाव में वही सदस्य/यूनिट भाग ले सकेगी जिसका शुल्क बेवाक है। प्रेक्षक चुनाव से पूर्व मंत्री से मतदाता सूची प्राप्त करेंगे जिस पर मंत्री एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन व उस पर आपत्ति का अन्तिम निर्णय चुनाव अधिकारी का ही होगा।

(द) जिला शाखा के निर्वाचन के समय यदि किसी जिले की समस्त उप-शाखाओं का चन्दा बकाया निकलता है और उपस्थिति कोरम से कम है तो निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन से पूर्व देय बकाया राशि जमा करने में निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के बजाय कार्य संचालन की दृष्टि से अपने विवेक से योग्य सदस्यों को अस्थाई रूप से 6 माह के लिए संयोजक समिति के रूप में मनोनीत करेंगे, किन्तु शर्त यह होगी कि यह मनोनीत किये जा रहे व्यक्ति संघ के विधिवत् सदस्य हों तथा उनके जिम्मे भी संघ का कोई शुल्क बकाया न हो और यह सभी मनोनीत व्यक्ति 6 माह की अवधि में बकाया निकल रही धनराशि को जमा करने का लिखित रूप से वचन दें।

(य) निर्वाचन से पूर्व कार्यरत् कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी गण को त्यागपत्र एवं चार्ज मय सूची के निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा किन्तु त्यागपत्र व चार्ज न देने के अभाव में निर्वाचन नहीं रोके जावेंगे। चार्ज न देने पर जिम्मेदार पदाधिकारी चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकेगा तथा न ही मत देने का अधिकारी होगा।

(र) निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं में से ही पदाधिकारियों का नामांकन प्रत्येक पद के लिए प्रत्याशी की सहमति से अलग-अलग कराया जावेगा। नामांकन के समय मतदाताओं में से ही एक प्रस्तावक व एक समर्थक होगा।

(ल) सभी पदों का नामांकन कराने के बाद नाम वापसी के लिए प्रस्तावक या प्रत्यशी दोनों में से कोई भी नाम वापस ले सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्याशी की असहमति की दशा में प्रस्तावक को नाम वापस लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। निर्विरोध न होने की दशा में चुनाव कराया जायेगा। यदि एक समान वोट मिलते हैं तो लाटरी डालकर निर्णय होगा एक प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर प्रत्याशी नहीं हो सकता।

(द) जिला व तहसील के चुनाव का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

(श) निर्वाचन से क्षुब्ध व्यक्ति की अपील तहसील की दशा में जिला कार्यालय पर व जिला की दशा में प्रधान कार्यालय पर की जा सकेगी। अपील की अवधि निर्वाचन तिथि से 30 दिन के अन्दर होगी। अपीलकर्ता को अपील के साथ 100/- रूपये अपील फीस भी जमा करनी होगी।

राजेन्द्र प्रसाद सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
उ०प्र० लेखपाल संघ

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामंत्री
उ०प्र० लेखपाल संघ

प्रतिलिपि :- 1. माननीय सचिव महोदय, राजस्व परिषद को सूचनार्थ
2. माननीय सचिव महोदय, राजस्व, उ० प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामंत्री